सत्यमेव जयते

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. 16/6/Review/MHIP/2018/RU-III

Date:28.03.2019

To,

The Chairman & Managing Director,
Bharat Heavy Electricals Limited,
Siri Fort, New Delhi- 110049

Sub: **Minutes of Review meeting taken by Dr. Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes being (NCST) on 11.09.2018 for** Monitoring of Reservation Policy and Development Progrmmes/Schemes being implemented for Scheduled Tribes by **the Bharat Heavy Electricals Limited.**

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Minutes of the Review meeting taken **by Dr. Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson National Commission for Scheduled Tribes on 11.09.2018 for information and necessary action on the recommendation of the Commission.**

It is requested that action taken report in this regard may please be sent to the Commission within months' time.

Encl: As above.

Yours faithfully,

28/3/2019

(Dr. Lalit Latta)
Director

Copy for information and necessary action to:

1. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
2. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय)

F.No.16/6/Review/MHIP/2018/RU-III

छठा तल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली–110003

अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक सुरक्षणों और उनके संरक्षण, कल्याण एवं सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए एवं अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) द्वारा किए जाने वाले उपायों संबंधी संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत डॉ. नन्द कुमार साय, अध्यक्ष द्वारा दिनांक 11.09.2018 को आहूत की गई समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची : संलग्नक 'क'
बैठक की तिथि : 11.09.2018

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग देश में अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक–आर्थिक विकास एवं संबंधित सभी मुद्दों का अन्वेषण एवं निगरानी करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार संघ एवं प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी। आयोग को उन सुरक्षणों के कार्यकरण पर राष्ट्रपति महोदय को प्रतिवर्ष एवं समय–समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने होते हैं और ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्यवाही या प्रस्तावित कार्यवाही को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन एवं सिफारिशों का अनुपालन नहीं करने के कारणों, यदि कोई हो, के साथ संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखना अपेक्षित होता है।

उक्त संवैधानिक आदेश की पालना में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष डॉ. नन्द कुमार साय जी की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति (सेवा सुरक्षणों) और उनके सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन के मूल्यांकन एवं निगरानी के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) के अधिकारियों के साथ आयोग में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India

(क) बीएचईएल की अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी कल्याण संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक:

बैठक की शुरुआत में आयोग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संपर्क अधिकारी की उपस्थिति में बीएचईएल की विभिन्न इकाइयों से आए अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी कल्याण संघों के प्रतिनिधियों से चर्चा की जिसकी सूची **संलग्नक 'क'** पर है। बैठक में अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी कल्याण संघों के प्रतिनिधियों द्वारा आयोग को मुख्यतः निम्नानुसार जानकारियां दी गईं:

1. हरिद्वार इकाई के प्रतिनिधि ने बताया कि वहां की इकाई में अनुसूचित जनजाति वर्ग से किसी भी अधिकारी की अभी तक महाप्रबंधक के पद पर नियमित नियुक्ति नहीं हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को कैडर चेंज प्रमोशन में पहले वर्ष में पदोन्नति नहीं मिल पाती है और एक वर्ष की देरी से पदोन्नति दी जाती है। पदोन्नति के लिए पात्र होने पर ही पदोन्नति दी जानी चाहिए। उन्होंने आरक्षण नीति पर कार्यशालाएं आयोजित कर संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता बताई।
2. हैदराबाद इकाई के प्रतिनिधि ने बताया कि वर्ष 2017–18 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बीएचईएल में 38,062 कर्मचारी हैं जिनमें से लगभग 2,600 अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं। उनके अनुसार इस वर्ग की वहां की इकाई में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 155 पदों का शॉर्ट फॉल/बैकलॉग है। उन्होंने यह भी बताया कि बीएचईएल में ई–2 स्तर तक के पदों पर पदोन्नति में आरक्षण लागू है जबकि भर्ती ई–1 स्तर पर ही की जाती है। इसके ऊपर के स्तर पर सीधी भर्ती नहीं होती। यदि महाप्रबंधक के स्तर पर भी सीधी भर्ती की जाए तो अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित पद रिक्त नहीं रहेंगे। ग्रेड़ बदलने पर प्रत्येक इकाई में कार्यरत कर्मचारियों में से 10 से 15 प्रतिशत की पदोन्नति का प्रावधान है जिसे और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। समूह 'ग' एवं 'घ' में की जाने वाली नियुक्तियों में राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की आबादी के प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण के प्रावधान का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए पृथक संपर्क अधिकारी रखे जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए तथा उनके कल्याण हेतु अनुसूचित जाति से पृथक कर्मचारी कल्याण संघ होना चाहिए तथा कार्यालय भवन आवंटित किया जाना चाहिए। विभागीय पदोन्नति समिति में भी अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य रखे जाने चाहिए। अभी तक सामान्यतः अन्य आरक्षित वर्ग के अधिकारी ही रखे जाते हैं। हैदराबाद इकाई के प्रतिनिधि ने यह मांग भी की कि उनकी इकाई में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए **'गिरिजन भवन'** के निर्माण हेतु एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाए।

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India

3. त्रिची इकाई के प्रतिनिधि ने मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने पर बल दिया। उनका कहना था कि ठेकेदारी के आधार पर बड़ी संख्या में कार्यों की आउटसोर्सिंग किए जाने से अनुकंपा नियुक्ति के लिए पद ही नहीं रह गए हैं और निचले पदों पर कार्यरत रहे अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जातियों के मृतक कर्मचारियों के परिवार इससे दुष्प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने बीएचईएल की टाउनशिपों में वाणिज्यिक दुकानों के आवंटन में अनुसूचित जनजातियों के कोटे का कड़ाई से पालन किए जाने की आवश्यकता बताई और अनुकंपा नियुक्ति न दे पाने पर दुकान आवंटित करने का सुझाव दिया। उन्होंने सीएसआर फण्ड का उपयोग करते हुए बीएचईएल की इकाइयों के आस–पास के गांवों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के विकास एवं कल्याण के उपाए किए जाने की आवश्यकता भी बताई। उन्होंने कारपोरेट कार्यालय द्वारा वर्कमैन, सुपरवाईजर तथा जूनियर एक्जिक्यूटिव के इकाई स्तर के पदों पर कार्यरत 06 कर्मचारियों का दूसरी इकाई में स्थानांतरण किए जाने पर आपत्ति व्यक्त की जिनमें से 03 अनुसूचित जनजाति वर्ग के थे। उन्होंने बताया कि इन कर्मचारियों को स्थानांतरण पर कार्यमुक्त भी कर दिया गया है।
4. भोपाल इकाई के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि उनकी इकाई में अतिरिक्त भूमि का आवंटन कई गृह निर्माण सहकारी समितियों को किया गया है जिनमें अल्कापुरी, शक्तिनगर, साकेतनगर आदि बसे हुए हैं पर अनुसूचित जनजातियों की रोहितास गृह निर्माण सहकारी समिति को भूमि नहीं दी जा रही है। पूर्व में उनकी समिति को 84 एकड़ भूमि आवंटित भी की गई थी परंतु बाद में एम्स को वह भूमि दे दी गई। बीएचईएल, भोपाल इकाई द्वारा कुछ अतिरिक्त जमीन राज्य सरकार को वापस भी की गई है परंतु उनकी सहकारी गृह निर्माण समिति को भूमि नहीं दी गई है। उन्होंने मांग की कि समिति को भूमि आवंटित की जाए। आयोग को यह भी जानकारी दी गई कि भोपाल इकाई में अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी अधिक हैं और वे पदोन्नति में पिछड़ जाते हैं। सहायक महाप्रबंधक स्तर तक अनुसूचित जनजाति का शायद ही कोई अधिकारी पहुंच पाता है। उन्होंने यह भी कहा कि बीएचईएल की दुकानों के आवंटन में आरक्षण का प्रावधान तो है किंतु प्रीमियम बहुत ज्यादा होने के कारण इस वर्ग के लोग दुकानें खरीद नहीं पाते हैं। अतः आरक्षित श्रेणी की दुकानों का प्रीमियम कम रखा जाना चाहिए। उन्होंने ठेकेदारों द्वारा अनुसूचित जनजाति के मजदूरों का शोषण किए जाने की जानकारी भी दी।

आयोग ने बीएचईएल के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए संपर्क अधिकारी को निर्देश दिया कि उपरोक्त चर्चा के दौरान उठाए गए सभी बिंदुओं पर प्रबंधन के साथ मिलकर आवश्यक कार्रवाई की जाए और आयोग को इस संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन भेजा जाए।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(ख) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) के प्रबंधन के साथ समीक्षा बैठक:

अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी कल्याण संघों के प्रतिनिधियों से चर्चा और आयोग द्वारा बीएचईएल को भेजी गई प्रश्नावली के उत्तर के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर आयोग ने बीएचईएल के प्रबंधन के साथ बैठक की। बैठक में सम्मिलित अधिकारियों की सूची **संलग्नक 'ख'** पर है। बैठक में बीएचईएल के ओर से एक पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मानव संसाधन की स्थिति, अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व, उन्हें दी जा रही रियायतों/छूटों तथा सीएसआर के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। बैठक प्रारम्भ करते हुए आयोग के माननीय अध्यक्ष ने कहा कि आयोग इस बात से अवगत है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग व विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। बीएचईएल ने भारत में देशी भारी विद्युत उपस्कर उद्योग को जन्म दिया और ऊर्जा संबंधी मूलभूत संरचना क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है। आयोग द्वारा अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त संरक्षण के कार्यान्वयन की स्थिति देखने के लिए यह समीक्षा बैठक रखी गई है।

(I) बैठकों में हुई चर्चा के आधार पर आयोग के निष्कर्ष:

(i) बीएचईएल द्वारा आयोग को दी गई जानकारी के अनुसार दिनांक 31.03.2018 तक कंपनी में कार्यरत कुल अधिकारी/कर्मचारियों की संख्या 37,540 थी जिसमें अनुसूचित जनजाति के अधिकारी/कर्मचारियों की संख्या 2,589 अर्थात् 6.90 प्रतिशत है जो कि निर्धारित प्रतिशत से कम है।

(ii) बीएचईएल में दिनांक 31.03.2018 की स्थिति में समूह 'ग' में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व 6.37 प्रतिशत है तथा समूह 'घ' में मात्र 1.74 प्रतिशत है जो कि काफी कम है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के निर्देशानुसार इस स्तर के पदों में स्थानीय आधार पर भर्तियां किए जाने का प्रावधान है जिनमें राज्यों में अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर आरक्षण रहता है।

(iii) वर्ष 2017 में समूह 'क' एवं समूह 'घ' के क्रमशः 02 एवं 01 पद भरे नहीं जा सके और रिक्तियां अग्रेषित की गई हैं। यह भी देखा गया है कि इस वर्ष सुपरवाईजर से एक्जीक्युटिव में 109 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है जिसमें से अनुसूचित जनजाति का केवल 01 कर्मचारी है जो कि काफी कम है और इससे प्रतीत होता है कि अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

(iv) विदेश में प्रशिक्षण हेतु अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को भेजे जाने के मामले में देखा गया है कि वर्ष 2017 में कुल विदेश भेजे गए 36 कर्मचारियों में से अनुसूचित जनजाति का केवल 01 कर्मचारी था जो कि नाम मात्र का प्रतिनिधित्व है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

विभाग के निर्देश हैं कि अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग को इस प्रकार के प्रशिक्षणों में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

(v) बीएचईएल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी में फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के 24 मामले जांच में लंबित हैं। यह संख्या काफी अधिक है तथा इन कर्मचारियों के जाति प्रमाण–पत्रों की जांच कितने समय से लंबित है, कंपनी द्वारा यह जानकारी नहीं दी गई है।

(vi) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) ने वर्ष 2014–15 में कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के मद में 165 करोड़ रुपये खर्च किए हैं जो बाद के वर्षों में घटते हुए वर्ष 2017–18 में कुल 10.4 करोड़ ही रह गया है। आयोग को यह जानकारी नहीं दी गई है कि यह व्यय कहां–कहां पर और किन कार्यों में किया गया है तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास एवं कल्याण पर कितनी राशि व्यय की गई है।

(vii) अलग–अलग इकाइयों में कार्यरत अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी कल्याण संघों की बहुत–सी मांगें लंबित हैं जिन्हें वे समय–समय पर उठाते रहे हैं किंतु उन पर निर्णय में विलंब हो रहा है जैसे कार्यालय भवन का आवंटन, सामाजिक–सांस्कृतिक कार्यों के लिए भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन, गृह निर्माण सहकारी समितियों को भूमि उपलब्ध कराना, पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि, स्थानांतरण में भेद–भाव न किए जाने, टाउनशिपों में दुकानों के आवंटन में आरक्षण एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी कीमत में छूट, अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने आदि। यदि इन पर शीघ्र निर्णय नहीं लिए जाते हैं तो अनुसूचित जनजातियों का कल्याण एवं विकास प्रभावित होगा।

(II) <u>आयोग की अनुशंसाएं:</u>

(i) बीएचईएल में दिनांक 31.03.2018 की स्थिति में कुल कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की संख्या 37,540 थी जिसमें अनुसूचित जनजाति के अधिकारी/कर्मचारियों की संख्या 2,589 अर्थात् 6.90 प्रतिशत है जो कि निर्धारित प्रतिशत से कम है जो समूह 'क' एवं 'ख' के समकक्ष पदों पर कम–से–कम 7.5 प्रतिशत होनी चाहिए थी। बीएचईएल की सेवाओं में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए प्रबंधन द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएं।

(ii) बीएचईएल में दिनांक 31.03.2018 की स्थिति में समूह 'ग' में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व 6.37 प्रतिशत है तथा समूह 'घ' में मात्र 1.74 प्रतिशत है जो कि काफी कम है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के निर्देशानुसार इस स्तर के पदों में स्थानीय आधार पर भर्तियां किए जाने का प्रावधान है जिनमें राज्यों में अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर आरक्षण रहता है। इस स्तर के पदों में

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व कम क्यों है और बीएचईएल द्वारा इसे पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, यह जानकारी आयोग को दी जाए।

(iii) वर्ष 2017 में समूह 'क' एवं समूह 'घ' के क्रमशः 02 एवं 01 पद भरे नहीं जा सके और रिक्तियां अग्रेषित की गई हैं। अगले वर्ष ये पद भरे जा सके हैं अथवा नहीं, यह जानकारी आयोग को दी जाए। यह भी देखा गया है कि इस वर्ष सुपरवाईजर से एक्जीक्युटिव में 109 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है जिसमें से अनुसूचित जनजाति का केवल 01 कर्मचारी है जो कि काफी कम है और इससे प्रतीत होता है कि अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसका कारण बताया जाए और शॉर्टफाल/बैकलॉग पदों पर अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, यह जानकारी दी जाए।

(iv) वर्ष 2017 में विदेश भेजे गए कुल 36 कर्मचारियों में से अनुसूचित जनजाति का केवल 01 कर्मचारी था जो कि नाम मात्र का प्रतिनिधित्व है। भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाए कि इस वर्ग के कर्मचारियों को भी देश–विदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उचित प्रतिनिधित्व मिले और वे भी अपना कौशल–विकास करके उच्च पदों पर पहुंच सकें। इस संबंध में आयोग को समय–समय पर जानकारी भी जाए।

(v) कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों के जांच में लंबित फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के 24 मामलों पर संबंधित राज्य सरकारों/न्यायालयों के साथ तत्परता से अनुवर्ती कार्रवाई की जाए तथा ऐसे कर्मचारियों के प्रति कार्रवाई सुनिश्चित की जाए जिनके प्रमाण–पत्र जांच में फर्जी पाए गए हैं। आयोग को यह जानकारी भी दी जाए कि इन कर्मचारियों के जाति प्रमाण–पत्रों की जांच कितने समय से लंबित है।

(vi) बीएचईएल में कारपोरेट तथा इकाई स्तर पर संधारित किए जाने वाले रोस्टरों को जानकारी एवं पारदर्शिता के लिए उनकी वेबसाइट पर रखा जाए।

(vii) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) ने वर्ष 2014–15 में कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के मद में 165 करोड़ रुपये खर्च किए हैं तथा वर्ष 2017–18 में यह व्यय कुल 10.4 करोड़ ही रह गया है। आयोग को यह जानकारी दी जाए कि यह व्यय कहां–कहां पर और किन कार्यों में किया गया है तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास एवं कल्याण पर कितनी राशि व्यय की गई है। अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले क्षेत्रों में भी इस राशि के एक भाग का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि ये इलाके अभी भी सर्वाधिक पिछड़े हैं जहां विकास की सर्वाधिक आवश्यकता है।

(viii) अलग–अलग इकाइयों में कार्यरत अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी कल्याण संघों की बहुत–सी मांगें लंबित हैं जिन्हें वे समय–समय पर उठाते रहे हैं किंतु उन पर निर्णय में

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति
National Commission for Sc ibes
भारत सरकार/Govt

विलंब हो रहा है जैसे कार्यालय भवन का आवंटन, सामाजिक–सांस्कृतिक कार्यों के लिए भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन, गृह निर्माण सहकारी समितियों को भूमि उपलब्ध कराना, पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि, स्थानांतरण में भेद–भाव न किए जाने, टाउनशिपों में दुकानों के आवंटन में आरक्षण एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी कीमत में छूट, अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने आदि। अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी कल्याण संघों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए इन बिंदुओं पर निर्णय लेते हुए आयोग को तथ्यात्मक/कार्रवाई रिपोर्ट भेजी जाए।

****

26.03.019

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

संलग्नक 'क'

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

F.No.16/6/Review/MHIP/2018/RU-III

अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक सुरक्षणों और उनके संरक्षण, कल्याण एवं सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए एवं अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) द्वारा किए जाने वाले उपायों संबंधी संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत डॉ. नन्द कुमार साय, अध्यक्ष द्वारा दिनांक 11.09.2018 को बीएचईएल की अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी कल्याण संघों के प्रतिनिधियों के साथ ली गई बैठक की उपस्थिति।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. श्री नन्द कुमार साय, अध्यक्ष
2. सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष
3. श्री एच.के. डामोर, सदस्य
4. श्री हर्षद भाई वसावा, सदस्य
5. श्री एम.सी. ईवनाते, सदस्या,
6. श्री राघव चंद्रा, सचिव
7. श्री शिशिर कुमार रथ, संयुक्त सचिव
8. श्री आर.के. दुबे, सहायक निदेशक
9. श्री डी.सी. कटोच, परामर्शक

बीएचईएल की अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी कल्याण संघों के प्रतिनिधि

1. श्री बी. गणेश नायक, महासचिव
2. श्री आर. पलाविवल, त्रिची (तमिलनाडु)
3. श्री महेंद्र कुमार भगत, भोपाल
4. श्री सी. राजागोपाल, त्रिची (तमिलनाडु)
5. श्री पवन कच्छप, हरिद्वार
6. श्री मनीष चौहान, हरिद्वार
7. श्री के. कृष्णा, अध्यक्ष

संलग्नक 'ख'

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

F.No.16/6/Review/MHIP/2018/RU-III

अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक सुरक्षणों और उनके संरक्षण, कल्याण एवं सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए एवं अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) द्वारा किए जाने वाले उपायों संबंधी संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत डॉ. नन्द कुमार साय, अध्यक्ष द्वारा दिनांक 11.09.2018 को आहूत की गई समीक्षा बैठक की उपस्थिति।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. श्री नन्द कुमार साय, अध्यक्ष
2. सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष
3. श्री एच.के. डामोर, सदस्य
4. श्री हर्षद भाई वसावा, सदस्य
5. श्री एम.सी. ईवनाते, सदस्या,
6. श्री राघव चंद्रा, सचिव
7. श्री शिशिर कुमार रथ, संयुक्त सचिव
8. श्री पी.टी. जेम्सकुट्टी, उप सचिव
9. श्री आर.के. दुबे, सहायक निदेशक
10. श्री डी.सी. कटोच, परामर्शक

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) प्रबंधन नई दिल्ली के अधिकारी

1. श्री अतुल सोबती, सीएमडी
2. श्री अनिल कपूर, ईडी/एचआर एण्ड सीसी
3. श्री बलवीर तलवार, जीएम/एनई एण्ड सीएसआर
4. श्री समीर मुखर्जी, जीएम/एचआर
5. श्री अजीत कुमार शर्मा, एजीएम/सीएसआर
6. श्रीमती शिल्पा मयंकार, डीजीएम (एचआर)
7. श्री सुनील कुमार, एजीएम/आरओडी–एचक्यू
8. श्री प्रवीण नायक, डीजीएम/कॉरपोरेट ऑफिस